05/08/20

विवरणी

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जंगल झाड़ी भूमि के जमाबन्दीदार घनश्याम दास वो देवकरण दास पे० भोला दास को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। जंगल झाड़ी भूमि के जमाबन्दीदार के पुत्र पारसमनी दास द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत जंगल झाड़ी भूमि ग्राम बोलबा, खाता सं० 49 प्लॉट सं० 522 रकबा 4.11 ए० भूमि का वर्ष 1990-91 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान पारसमनी दास अपना लिखित रुप में आवेदन दिया है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई कागजात नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया हे कि पंजी ii में दर्ज जंगल झाड़ी भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार एवं खेसरा संख्या दर्ज है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने जमाबन्दी रद् करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि घनश्याम दास वो देवकरण दास पे० भोला दास, ग्राम - बोलबा के नाम से चल रही निम्नांकित जंगल झाड़ी के जमाबन्दीदार संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
बोलबा	60	49	522	4.11 ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2020 के कंडिका–5 के उप कंडिका II(ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 के धारा 4(h) के आधार पर जमाबंदी रद् किया जाता है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
बोलबा।

अंचल अधिकारी,
बोलबा।

Scanned with CamScanner